



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

बिलासपुर, दिनांक 15-01-2021

क्रमांक/तक./ 141

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

अटल नगर छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- Consultancy Services for Project Management Phase-I including Preparation of Details Project Report for upgradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the State of Chhattisgarh 2/4 Lane with paved shoulder configuration (PKG No. NH/IAHE/09) Area 4.493 Ha. Regarding पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/37444/2018

संदर्भ :- वनमण्डलाधिकारी कोरबा का पत्र क्र./तक./2046 दिनांक 28.11.2020

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा NH-149B व्यपवर्तित रकबा 4.493 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देश तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 2.82 हे. एवं जांजगीर चांपा वनमण्डल अंतर्गत 1.673 हे. कुल रकबा 4.493 हे. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका 44 बिन्दुओं में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पेज क्र.
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	आवेदक संस्थान के द्वारा परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा NH-149B परियोजना हेतु कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 2.82 हे. एवं जांजगीर चांपा वनमण्डल अंतर्गत 1.673 हे. कुल रकबा 4.493 हे. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।	01-05
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र का प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड संलग्न है।	06-09
3	वनक्षेत्र विवरण	प्रकरण में प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र का आवेदक संस्था द्वारा दिये गये पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण संलग्न है।	10-18
4	गैर वनक्षेत्र विवरण	प्रकरण में प्रस्तावित गैर वन भूमि का विवरण नक्शा खसरा सहित संलग्न है।	19-22
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का कूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर	प्रकरण में प्रस्तावित वन एवं राजस्व वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 संलग्न है।	23-28
6	वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप	प्रकरण में प्रस्तावित वनक्षेत्र का स्टॉक मैप संलग्न है।	29-40
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव	प्रकरण में प्रस्तावित वन क्षेत्र हेतु प्रपत्र 4 में प्रस्ताव तैयार कर संलग्न है। जांजगीर-चांपा वनमण्डल में वृक्षों का गोशवारा	41-52

क.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पेज क.
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	प्रकरण में प्रस्तावित वन क्षेत्र हेतु प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	53-64
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (यह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होनी) नए यूनियन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के बचत खातों का विवरण संलग्न है।	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित हो रहे वन क्षेत्र एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 4.493 हे. हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राशि जमा करने का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है संलग्न है।	65-68
10	न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र	प्रकरण में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	69-72
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगा कर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10000 हे. तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006) इससे अधिक में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है।	प्रकरण में आवेदक संस्थान के द्वारा परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा NH-149B परियोजना हेतु कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 2.82 हे. एवं जांजगीर चांपा वनमण्डल अंतर्गत 1.673 हे. कुल रकबा 4.493 हे. परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये जाने के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के बिन्दु क. 7(I) में उल्लेखित विवरण अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना संलग्न है।	73-78
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में)	प्रकरण में प्रस्तावित जांजगीर-चांपा वनमण्डल में वन क्षेत्र रकबा 1.673 हे. में 03 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।	79-85
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस	प्रकरण में प्रस्तावित कास्ट /बेनिफिट एनालिसिस योजना तैयार का संलग्न है।	86-87
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसराकी नकल, मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)	आवश्यकता नहीं है।	88-103
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	आवश्यकता नहीं है।	104-127
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित) जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से आवेगा।	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित हो रहे कुल वन क्षेत्र रकबा 4.493 हे. के बदले वन मण्डल मरवाही में दुगने नारंगी वनक्षेत्र P2355 रकबा 10.000 हे. का वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना में तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	128-156
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	157-159

क.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पेज क.
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है	160-161
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है	162-163
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यकारी	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है	164-165
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	166-171
22	कैंचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	आवश्यकता नहीं है।	172-173
23	रिक्लेमेशन प्लान	आवेदक संस्थान के द्वारा आवेदक संस्थान के द्वारा परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा NH-149B परियोजना हेतु कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 2.82 हे. एवं जांजगीर चांपा वनमण्डल अंतर्गत 1.673 हे. कुल रकबा 4.493 हे. परियोजना हेतु रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। आवेदक का प्रमाण पत्र संलग्न है	174-175
24	माईनिंग प्लान आई.बी.एम. नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)	प्रकरण चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा NH-149B सड़क से संबंधित है। अतः माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	176-177
25	व्यवस्थापन प्लान	आवेदक संस्थान के द्वारा आवेदक संस्थान के द्वारा परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा NH-149B परियोजना हेतु कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 2.82 हे. एवं जांजगीर चांपा वनमण्डल अंतर्गत 1.673 हे. कुल रकबा 4.493 हे. परियोजना में किसी भी ग्रामिणों का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	178-185
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र-I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा।	प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन वन अनुशंसा सहित संलग्न है।	186-197
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	प्रकरण में ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	198-200
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना से संबंधित ग्रामों के ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	201-204
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)	संलग्न है।	205-206

क.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पेज क.
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रमाणित हुई वनभूमि रकबा हे. में	संलग्न है ।	207-208
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में	संलग्न है ।	209-210
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है, अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/पूर्ति व होने की जानकारी	प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	211-212
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	प्रकरण चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा NH-149B सड़क से संबंधित है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	213-214
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रकरण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई	आवेदक संस्थान के द्वारा आवेदक संस्थान के द्वारा परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा NH-149B परियोजना हेतु कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 2.82 हे. एवं जांजगीर चांपा वनमण्डल अंतर्गत 1.673 हे. कुल रकबा 4.493 हे. परियोजना में प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी प्रमाण पत्र के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।	215-221
35	राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र	प्रकरण में कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 2.82 हे. एवं जांजगीर चांपा वनमण्डल अंतर्गत 1.673 हे. कुल रकबा 4.493 हे. प्रभावित हुई है। अतः कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	222-229
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	आवेदक संस्थान परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है संलग्न है।	230-233
37	Clearance under FC Act 1980 Deposition of funds with the Ad-hac CAMPA Remittances to precede 2nd stage Charance.	आवेदक संस्थान परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा प्रकरण में जमा किये जाने वाली समस्त राशि कैम्पा मद में जमा किये जाने का वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है।	234-237
38	A detail Note on soil productivity or the lack of it.	संलग्न	238-240
39	परियोजना जो किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र	आवेदक संस्थान परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा उक्त परियोजना में किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। संलग्न है।	241-242

क.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पेज क.
40	Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purpose under the forest (Conservation) Act. 1980. Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a vocational training institute)	प्रमाण पत्र संलग्न है।	243-244
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण	संलग्न है।	245-252
42	वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)	आवेदक संस्थान परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा प्रकरण में वन्य प्राणी परियोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।	253-254
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टायर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र विवरण	आवश्यकता नहीं है।	255-256
44	प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण	वन आवरण मानचित्र, इको क्लास मानचित्र, फारेस्ट कन्टूर मेप, स्टॉक मेप एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट संलग्न है।	257-318

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव वेब पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया जाकर प्रस्ताव निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार बिन्दुवार तैयार कर 04 प्रतियों में सम्प्रेषित है।
संलग्न – उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

पृ. क्र./तक./ 142
प्रतिलिपि –

1. वनमण्डलाधिकारी कोरबा वनमण्डल की ओर सूचनार्थ।
2. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
बिलासपुर, दिनांक 15-01-2021

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा NH-149B रकबा 4.493 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देश तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 2.82 हे. एवं जांजगीर चांपा वनमण्डल अंतर्गत 1.673 हे. कुल रकबा 4.493 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित राजस्व वनभूमि 4.493 हे. का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

आवेदित वनक्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु प्रकरण में वन्यप्राणी योजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यप्राणी को प्रेषित किया जायेगा।

अनुशंसित

दिनांक

(नवीद शुजाउद्दीन) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

PLC